फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत – उपखण्ड अधिकारी मुकाम –जहाजपुर (भीलवाडा)

रामलाल पिता नाराण मीणा नि. कुराडिया माताजी का खेडा वगैराह

बनाम

जगदीश पिता माधु मीणा नि. कुराडिया माताजी का खेडा वगैरा

किस्म मुकदमा प्रा0 पत्र 111, 128 एल. आर. ए. मुकदमा नं. 317 / 2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुये
10 .11.21	प्रार्थना पत्र प्रशासन गाँवों के संग अभियान में पेश हुआ। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते की भूमि ग्राम खेराडिया माताजी का खेडा प. ह. कुराडिया तहसील जहाजपुर में स्थित आ.न. 1806/1 रकबा 0.06 बीघा, आ.न. 1807/1 रकबा 1.01 बीघा कुल किता 2 रकबा 1.07 बीघा, तथा ग्राम कुराडिया प. ह. कुराडिया की आ.न. 336/2 रकबा 0.14 बीघा, आ.न. 1343 रकबा 0.10 बीघा, आ. न. 1344 रकबा 3.08 बीघा, आ.न. 1492/2 रकबा 0.12 बीघा, आ.न. 1494/2 रकबा 7.10 बीघा, आ.न. 1490 रकबा 6.06 बीघा, आ.न. 1504/1 रकबा 5.09 बीघा, आ.नं. 1505/1 रकबा 0.08 बीघा स्थित है। उक्त वर्णित कृषि आराजी के पडौसी अप्रार्थीगण है। उन्हे सीमा बिन्दु की पुख्ता जानकारी नही होने से आये दिन हंकाई बुआई कटाई के समय अनावश्यक विवाद होता रहता है। अतः पत्थरगढी के आदेश प्रदान किये जावे। प्रार्थना पत्र की ताईद में प्रार्थी का शपथ पत्र संलग्न है। मैंने पत्रावली का अवलोकन किया सुयोग्य अभिभाषक/प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली के साथ संलगन नकल जमाबन्दी सम्वत 2069 से 2072 तक के अवलोकन से पत्थरगढी किये जाने वाली भूमि प्रार्थी के स्वामित्व की हैं। पडोसियान के विवाद करने बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हैं। अतः प्रार्थना पत्र 111/128 रा.ले. रे. एक्ट स्वीकार किया जाता है तथा भूमि ग्राम खेराडिया माताजी का खेडा प. ह. कुराडिया तहसील जहाजपुर में स्थित आ.न. 1806/1 रकबा 0.06 बीघा, आ.न. 1807/1 रकबा 1.01 बीघा कुल किता 2 रकबा 1.07 बीघा, तथा ग्राम कुराडिया प. ह. कुराडिया की आ.न. 336/2 रकबा 0.14 बीघा, आ.न. 1343 रकबा 0.10 बीघा, आ.न. 1344 रकबा 3.08 बीघा, आ.न. 1492/2 रकबा 0.12 बीघा, आ.न. 1494/2 रकबा 7.10 बीघा, आ.न. 1490 रकबा 6.06 बीघा, आ.न. 1504/1 रकबा 5.09 बीघा, आ.नं. 1505/1 रकबा 0.08 बीघा की बसामलात पडोसियान के पत्थरगढी करने हेतु भू अभिलेख निरीक्षक कुराडिया को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस 1500– रू. तय किये जाते है। जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 100 रू. राजकोष में जमा करावे। पालना हेतु तहसीलदार जहाजपुर को लिखा जावे। पालना रिपोर्ट शिघ्र प्रस्तुत करे। आदेश आज दिनांक 10 .11.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी, जहाजपुर(भीलवाडा)	

Scanned with CamScanner